भारत सरकार
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 807
दिनांक 29 नवम्बर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

एनपीपीए द्वारा जांच

807. श्री दुरई वाइकोः

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय भेषज मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने अक्तूबर, 2024 में आवश्यक दवाओं की मूल्य वृद्धि की अनुमति देने से पहले दवा निर्माताओं के दावों की जांच की थी कि कतिपय आवश्यक दवाओं का उत्पादन अव्यवहार्य हो गया है; और
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख): जी हाँ। औषधि विनिर्माताओं के दावों की जांच, दवाओं की अनिवार्यता; वह अवधि जब से वे मूल्य नियंत्रण के अधीन हैं; विगत तीन वर्षों में एपीआई कीमतों का रुझान; संभावित कमी संबंधी मामलों, यदि कोई हो; और विनिर्माण कंपनियों से आवश्यक दवाओं को बंद करने के लिए प्राप्त हुए अनुरोधों जैसे मापदंडों को ध्यान में रखते हुए एक अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) द्वारा की गई थी, जिसमें केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक (डीजीएचएस) और राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) के प्रतिनिधि शामिल थे। विस्तृत जांच के आधार पर 8 औषधियों के केवल 11 फॉर्मूलेशनों की कीमत में वृद्धि को मंजूरी दी गई, जबकि इस प्रकार की वृद्धि हेतु 77 फॉर्मूलेशन के संबंध में अनुरोध प्राप्त हुए थे।

*****